



प्रतिभाशाली युवाओं को विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

वर्ष 2018 के लिए 15 मार्च तक
आवेदन आमंत्रित



श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

विदेश में स्नातकोत्तर
एवं
पी-एच.डी. उपाधि
के लिए

छात्रवृत्ति योजना



विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर/पी-एच.डी. शोध उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश करने वाले मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों जिन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के तहत काउंसलिंग के उपरान्त प्रवेश प्राप्त किये हों एवं उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित विश्वविद्यालयों एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेशित हों, के लिये राज्य सहायता छात्रवृत्ति दी जाती है।

योजना के अन्तर्गत विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 40 हजार अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष (दो वर्ष) की छात्रवृत्ति दी जाती है।

» पात्रता «

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी ● परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 5 लाख रुपये।
- अर्हता परीक्षा (यू.जी.पी.जी.) में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हों।

इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

अपात्र/अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2018

सभी वर्गों को शिक्षा के समान अवसर देती मध्यप्रदेश सरकार